राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 299/2024
चोखाराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान राज्य आर/ओ गोखले लेन, अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिष भादला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 16.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ग्रामीण से तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्प अवधि में बार–बार किया गया है। अपीलार्थी का पिछले चार साल में सात बार स्थानांतरण किया जा चुका है। वर्तमान स्थानांतरण अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर पदस्थापन करने के सात माह पश्चात ही किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी को स्थानांतरित किये जाने में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का स्थानांतरण 500 किमी. से अधिक दूरी पर किया गया है, जिससे अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
2. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

3. अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर दिनांक 31.07.2023 को पदस्थापन हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी का वर्तमान में स्थानांतरण अल्प अवधि में किया जाना नहीं माना जा सकता है।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन तहसीलदार के पद पर जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 500 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is*

posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए एवं उपरोक्त न्याय निर्णयों की रोशनी में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)